

.....इतनी उत्कंठा क्यों?

गहलोत ने अपने कार्यकाल में सरकार और मीडिया के संबंध को भी अपने फायदे अनुसार तोड़ने-मरोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। ज्यादातर स्थानीय मीडिया को विज्ञापनों का प्रलोभन दिया, वहीं अन्य मीडिया को स्पष्ट कह दिया गया कि “हमारी न्यूज छापो, तभी विज्ञापन मिलेंगे।” विरोधात्मक सोच रखने वाले 42 पत्रकारों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थी। जो मीडिया गहलोत से कृतार्थ थी उसने बेधड़क और बिना सूझ-बूझ के वॉट्सएप पर प्रसारित की जा रही फोन-टैपिंग की रिकॉर्डिंग प्रकाशित की, और जाने अनजाने में स्वयं को भी इस राजनैतिक षड्यंत्र का भागीदार बना लिया। क्योंकि गहलोत के मित्र और पार्टी व्हिप महेश जोशी ने इन प्रकाशनों की बिसात पर ही पायलट व उनके गुट के खिलाफ देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराई थी।

तो आज गहलोत के पदच्युत होने के ग्यारह महीने बाद क्यों गहलोत के व्यक्तित्व पर लिखने की उत्कण्ठा हुई। उत्कण्ठा का कारण था, कि अगर जनता समय से नहीं जागती और गहलोत की शासन प्रणाली को समय की पुकार मानते हुए स्वीकार कर लिया जाता, तो यह स्थापित हो जाता कि जनता तो बेमायने है, हार जीत नारों की विविधता पर निर्भर करती है, नारों के क्रियान्वन पर नहीं।

व्यापारियों को सम्बोधित करते हुए कहा, अपने अशोक की एक बार फिर एम.पी. का चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी ड्यूटी बनती है, कि तन, मन, धन से पूरा सहयोग करें। पर उल्लेखनीय बात यह है, कि इस भारी (तन,मन, धन के) समर्थन के बावजूद गहलोत वह चुनाव हार गये थे, जसवंत सिंह के सामने।

गहलोत यह चुनाव हारेंगे, इसका आभास उस वाक्य से हो गया था, जो जोधपुर में लोग-बाग चटकारे ले ले कर आज भी सुनाया करते हैं। वाक्य के अनुसार, चुनाव व जन समर्थक अभियान के दौरान गहलोत शहर के मोहल्लों व कॉलोनियों में जा रहे थे, जनता के शिकवे, शिकायत सुनने के लिए। एक जगह एकात्रित लोगों ने शिकवे सुनाते हुए कहा, “सड़क बहुत खराब है, चलना मुश्किल हो रहा है।” गहलोत ने जबब में कहा, “यह स्थानीय प्रशासन का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” लोगों ने बिजली की कम वोल्टेज और बहुत कम समय के लिए बिजली आने का रोना रोया, तो फिर गहलोत ने बो ही जवाब दिया, “यह तो आर.एस.इं.जी. का काम है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” किसी ने लॉ एण्ड ऑर्डर, बढ़ती हुई चोरी-चकारी व गुंडागर्दी को शिकायत की, पुनः गहलोत की ओर से जवाब मिला, “यह स्थानीय पुलिस के “डीलर” करने का मामला है, कोई दिल्ली का काम हो तो बतायें।” तंग आकर एक आदमी ने हजार रुपये का नोट निकाल कर दिया और कहा, “दिल्ली के चंदानी चौक में बाबा छाप जर्द का नम्बक मिलता है, अगली बार दिल्ली से आयें तो दो डिब्बे लेते आइयेगा।” व्यंग्यात्मक टिप्पणी में जनता

पहला मैसेज यह गया कि, दिल्ली इतनी कमजोर है कि क्षेत्रीय क्षत्रप, मनमर्जी से बिना लगाम राज चला रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष यह निकला कि हाई कमान को भी इस भ्रष्टाचार की कमाई से कोई परहेज नहीं है। परंतु गहलोत को लाभ ही लाभ था इस व्यवस्था से। एक तो उनका भ्रष्टाचार “जायज़” हो गया, दूसरा विधायकों की निष्ठा व वफादारी सी प्रतिशत गहलोत के प्रति ही गई और गहलोत ही क्यों मुख्यमंत्री रहें, इसे “जस्टिफाई” करने के लिए (जायज़ उठारने के लिए) एक और तर्क दिया गया कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके प्रतिद्वंदी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट “राजद्रोही” हैं और उनके खिलाफ “सैंडिशन” (देशद्रोह) का मुकदमा ठोक दिया गया। “सैंडिशन” के पक्ष में “सबूत” दिये गये कि पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर भाजपा से हाथ मिलाने वाले थे, गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने और कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए।

कहानी पुरानी है तथा इससे सब भली-भांति परिचित हैं, तो आज, गहलोत सरकार गिरने के ग्यारह महीने बाद इस घटनाक्रम की चर्चा क्यों चली है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से प्रजातंत्र बचा है।

प्रेस को रौब से दबाने की, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की, बहुत कम प्रशासन इस प्रवृत्ति से बच पाते हैं। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, “जब आप खबरों के प्रवाह को जवाब दे रहे हैं, तब आप, अपने तक जानकारीयां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।”

गहलोत तीन बार मुख्यमंत्री बने, अतः वे अच्छी तरह जानते थे, समझते

गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ में कोई कमी नहीं थी, पर इस ज्ञान का वे “सलैक्टिव”, अपनी सुविधा व व्यक्तिगत हित को देखते हुए प्रयोग करते थे और सुविधानुसार, पार्टी का हित, गौण हो जाता था। जब उन्होंने अपने पुत्र को जालौर से टिकट देने का मन बना लिया, उसे राजनीति में स्थापित करने के लिए तो, कलबियों की संख्या का तर्क गौण हो गया। पर जातियां उनके मन के अनुसार गौण या महत्वपूर्ण नहीं हो जातीं, और उनके पुत्र की डेढ़ लाख वोटों से करारी हार हुई।

का नारा दिया नेताओं ने, और धीरे-धीरे अफसरों पर हावी हो गये। तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यह खूब समझ गये थे, और किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है, उसके रिटायरमेंट तक। दूसरी ओर दिल्ली पर “निर्बन्धण” पा लिया, दिल्ली व दिल्ली की “आवश्यकता” की पूर्ति करके।

नतीजा वो ही हुआ, रेडिेशन से कैसर के ट्रीटमेंट जैसा। तत्कालीन मुख्यमंत्री गहलोत में मॉरल (नैतिक) वैल्यू सिस्टम का आभाव, सुप्त अन्तरात्मा, असहाय व मजबूर-सी अफसर शाही, नारे गढ़ने में मास्टरी, आदि, कारणों ने एक साथ मिलकर पूरे सरकारी ढांचे, प्रशासनिक तंत्र को छक्कड़ार दिया, इतना कि अब उसे पटरी पर आने में कई दिनों लगेंगे। उदाहरण के लिए, “फोन टैपिंग” का प्रकरण एक और महत्वपूर्ण मामला है, जिसे बारीकी से देखा जाना चाहिए। पहले तो ऐसा “फुलप्रूफ” सिस्टम तैयार किया गया कि कोई सबूत न रहे कि कोई टैपिंग हुई है। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन “टैप” किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच-छः दिनों के लिए फोन “टैप” किया गया और फिर एक दो-दिन के लिए फोन को “टैपिंग” की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुनः पांच-छः दिन की “टैपिंग लिस्ट” में डाल दिया गया।

गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था। पर प्रदेश में फोन टैपिंग कांड सिर्फ गैर-कानूनी तरीके से की गई जासूसी का ही एक उदाहरण नहीं है, बल्कि



प्रेस को रौब से दबाने की, या प्यार से सुलाने की नैसर्गिक फितरत होती है हर सरकार की। इस प्रवृत्ति के बारे में स्वर्गीय उपराष्ट्रपति कृष्ण कान्त ने ऐसे ही प्रकरण के बारे में राज्यसभा में बड़े सटीक ढंग से कहा था, “जब आप खबरों के प्रवाह को जनाता तक पहुंचने का मार्ग अवरुद्ध करते हैं, तब आप, अपने तक जानकारीयां पहुंचने का रास्ता भी ब्लॉक करते हैं।”

की कुंठा साफ झलक रही थी। गहलोत का वह चुनाव हारना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।

सन् 1989 के लोकसभा चुनाव में गहलोत की जोधपुर से हार, इतिहास में एक मनोरंजक “फुट नोट” बनी, जिसे पुराने लोग आज भी तत्कालीन युवा गहलोत के राजनीतिक गुरू व अपरिपक्वता का प्रतीक मानकर, चटकारे लेते हुए याद करते हैं। पर ग्यारह महीने पहले गहलोत के नेतृत्व में लड़े गये विधानसभा चुनाव में हुई हार “फुट नोट” नहीं, बल्कि देश के प्रजातंत्रिय इतिहास में एक “काले युग” के अंत के रूप में उल्लिखित रहेगी।

यह हार किसी भी तरह एक युवा मंत्री की नानादी, नासमझी, मासुमियत के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं की जा सकती। क्योंकि, उस सरकार का नेतृत्व एक ऐसा मुख्यमंत्री कर रहा था, जिसकी, सबसे बड़ी “कुवैलिटी” (गुण) उसकी राजनीतिक कुटिलता व प्रशासनिक अनुभव था। जिसका मुख्य ध्येय था, गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखना। जो भी इस ध्येय को प्राप्त करने में मददगार था उसके सौ खून (भ्रष्टाचार के कारनामे) आदि माफ थे, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो। इस नीति को जायज़ उठारने

थे, जनता अपना मन किस तरह और कैसे बनाती है। इस “प्रक्रिया” में क्या-क्या “फैक्टर्स” काम करते हैं। उनके पास यह जानकारी भी इकट्ठी हुई गई थी कि, राजस्थान में कौन-कौन सी जाति/जात कहाँ-कहाँ बसती हैं और जाति/जात का राजनीति की दृष्टि से चुनाव में क्या महत्व है। साथ ही लम्बे काल तक दिल्ली में सक्रिय रहने के कारण, पूर्ण आभास था, कि दिल्ली कैसे निर्णय लेती है, प्रदेशों में पार्टी के नेताओं के बारे में। दिल्ली में किसकी चल रही है, माखनलाल फोतेदार की, सीताराम केसरी की, अहमद पटेल की, गुलाम नबी आजाद की या किसी अन्य की। उन्होंने अपने सेक्रेटरी टु. सी.एम., ललित पंवार को, इस पद से हटा दिया था, क्योंकि देर रात को माखन लाल फोतेदार की मां की मृत्यु हो जाने पर पंवार ने उन्हें तुरंत उठाकर यह जानकारी नहीं दी, और सुबह गहलोत को मृत्यु की खबर बताई। गहलोत ने इस घटनाक्रम से उत्पन्न पीड़ा व व्यथा उस समय भरे साथ शेयर की, जब वे घर आये थे, और नये सेक्रेटरी टु सी.एम. के चयन के बारे बात कर रहे थे। उन्होंने पंवार को हटाने का निर्णय ले तो लिया था, पर उनकी पीड़ा यह थी कि, उन्होंने एक योग्य व लायक एस.सी.

“ट्रांज़िक्शनरी एप्रोच” (लेन-देन, खरीद-फरोख्त के व्यवहार) के कारण लोग जुड़े तो सही, आखिर सबका सरकार से कुछ न कुछ काम तो रहता है। पर, उनके लम्बे राजनीतिक जीवन में, दिल से कोई साथ नहीं जुड़ा। अतः जब तक पद बना रहा, आस-पास मंडराते रहे, पर, मुख्यमंत्री का पद जाते ही भीड़ छंट गई, और राजनीतिक अस्तित्व, रोगी-शैथ्या से वक्तव्य देने तक सीमित रह गया।

हार हुई, जालौर की सीट पर। कलबी “कम्युनिटी” को काफी सख्त नाराजगी थी, “कलबी”, जो कांग्रेस के परम्परागत वफादार समर्थक रहे हैं, जो “कलबी” बाहुल्य सीट से, “कलबी” का टिकट काट कर, एक बाहरी को, अपने पुत्र को, टिकट देने से।

मेदांता हॉस्पिटल में हुए भरे छोटे भाई के कैसर के “ट्रीटमेंट” के दौरान एक बात समझ आई। बत्तीस राउण्ड हुए थे रेडिेशन का एक रेडिेशन के राउण्ड में तीन अलग-अलग पावरफुल रेडिेशन की किरणें, कैसर प्रसित गांठ पर एक साथ पहुंचती थीं, तथा ये तीन किरणें एक साथ मिल कर इतनी पावरफुल बन जाती थीं कि कैसर की गांठ बत्तीस राउण्ड के बाद “डिज़ॉल्व” हो गई थी। राजस्थान में सरकारी कामकाज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तथा जातिवाद/जातवाद सम्भवतया शुरू से ही रहा है। पर, कुछ परम्पराओं का दबाव, लोक लाज की शर्म, अन्तरात्मा की आवाज़, सरकारी कामकाज की प्रक्रिया से पूर्ण परिचय ना होना, कुछ अफसरों की पढ़ाई व एक्सपोज़र राजनीतिज्ञों से ज्यादा व बेहतर होना, ने एक अंकुश का काम किया। राजनीतिज्ञों और नेताओं को मनमानी करने से रोकता प्रारंभिक दिनों में अधिकतर सरकारी अफसर राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, अतः स्थानीय परिस्थितियों से ज्यादा परिचित होने का, जनता की नब्ब समझने

गहलोत ने किस तरह से फोन टैपिंग का प्रचार-प्रसार करवाया और फिर इस प्रकरण से दूरी बनाए रखने के लिए अपने ही ओ.एस.डी. को निष्कासित किया और पुलिस की जांच झेलने में झोंक दिया।

इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे “सत्ता के दुरुपयोग” की परिभाषा ही बदल जाती है।

सरकारी काम-काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से ही रहा होगा, गहलोत ने इस “भ्रष्टाचार” में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी बना दिया स्थानीय विधायक को। उदाहरण के लिए, बजरी का अवैध काम, स्थानीय नाके के कर्मचारी, छोटे-मोटे पंच-सरपंच स्तर का नेता, छोटे पंच कॉन्स्टेबल से लेकर उच्चतम स्थानीय नेता (विधायक, मंत्री) शीर्षस्थ स्थानीय पुलिस अधिकारी (थानेदार) डॉ.जाय.एस.पी., एस.पी.) तथा स्थानीय उच्चतम प्रशासनिक अधिकारी, सभी की इस “धंधे” में हिस्सेदारी तय कर दी गई और धड़ल्ले से “धंधा” चला। यह “इन्स्टिट्यूशनलाइज़ेशन” सभी विभागों में प्रचलित हो गया, पर स्थानीय स्तर पर धुरी विधायक/मंत्री को ही रखा गया। क्योंकि, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत से ही, जब पहली बार,

प्रथम कार्यकाल में उन्होंने “डिजायर” कल्चर शुरू किया, कि, किसी भी “ट्रांसफर, पोस्टिंग” के चले आ रहे विषय के लिए जितने विधायक की “डिजायर” को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस “डिजायर” कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये।

“इमरजेंसी” के बाद वे जोधपुर से एम.पी. बने थे, तथा प्यारः दिल्ली ही रहने लगे थे, तब गहलोत ने निष्कर्ष निकाल लिया था, कि कांग्रेस के किसी राजनीतिज्ञ को सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, कि दिल्ली के पास, उस मुख्यमंत्री की शिकायतें नहीं पहुंचें और

तीन बार मुख्यमंत्री रहने के कारण वे सरकारी प्रक्रिया से काफी सुपरिचित हो गये थे। सिस्टम को कैसे और कितना तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है, अपने राजनीतिक हित व स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यह खूब समझ गये थे, और किस अफसर को दबाव से, किसको प्रलोभन से, किसको व्यक्तिगत सम्बन्धों से फुसलाकर उपयोग में लाया जा सकता है, और यह भी कि यदि अफसर फिर भी काबू नहीं आता तो, उसे कहाँ और किस टांड पर रखा जा सकता है।

ये शिकायतें पहुंचाने का काम विधायक करते हैं। अतः विधायकों को “खुश” रखना प्रथम जिम्मेवारी है, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए। अतः अपने प्रथम काल में उन्होंने “डिजायर” कल्चर शुरू किया, किसी भी “ट्रांसफर, पोस्टिंग” के चले आ रहे विषय के लिए जितने विधायक की “डिजायर” को ही महत्व दिया जायेगा, पार्टी के किसी अन्य नेता को नहीं, चाहे वो कितना भी वरिष्ठ, व कद में राष्ट्रीय स्तर का माना जाता हो।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, पूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री, प्रदेशाध्यक्ष व ए.आई.सी.सी. के महासचिव नवल किशोर शर्मा व नरसिम्हाराव सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय (पी.एम.ओ.) के मंत्री भुवनेश चतुर्वेदी ने इस “डिजायर” कल्चर के अपने अनुभव शेयर किये। कोटा के भुवनेश चतुर्वेदी, आजीवन अविवाहित रहे पर अपने वृहत् परिवार के मुखिया के रूप में जिम्मेवारी निभाते रहे। उनका एक भतीजा, जो सरकार को मेडिकल सर्विसेज विंग में डॉक्टर था, डेप्युटेशन पर एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज में “पोस्टेड” था। यह कोई खास बड़ी बात नहीं थी। यह सुविधा, जरा सा भी जो “कनैक्टेड” व्यक्ति था उसके रिश्तेदारों को सदा से मिलती आई है। पर अचानक, भुवनेश चतुर्वेदी के भतीजे का एस.एम.एस. से संधी वरिष्ठ हो गया। रामलुभाया उस समय स्वास्थ्य सचिव थे तो कोटा में कलैक्टर रह चुके थे और भुवनेश चतुर्वेदी के “महत्व” से अच्छी तरह परिचित थे। तीन चार बार भुवनेश चतुर्वेदी ने अपने भतीजे के एस.एम.एस. अस्पताल से ट्रांसफर को रद्द करने को कहा, रामलुभाया ने आखिर रद्द कर दिया। तब यह प्रशासनिक प्रथा थी, कि हर महत्वपूर्ण ट्रांसफर, चाहे किसी की भी डिजायर आये, सी.एम.ओ. की स्वीकृति से ही होता था। मुख्यमंत्री ने रामलुभाया को तलब किया और पूछा, “ये ट्रांसफर रद्द करने के आदेश कैसे निकले, सी.एम.ओ. ने ऐसी कोई “डिजायर” नहीं भेजी थी।” सकुचते हुए रामलुभाया ने जवाब दिया, “भुवनेश जी कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ व प्रतिष्ठित नेता हैं, उनका कई बार फोन आया, अतः...।” दो टूक जवाब मिला रामलुभाया को, “कांग्रेस में कौन वरिष्ठ है और उनकी “रिक्वैस्ट” के बारे में क्या निर्णय लेना है, यह सी.एम.ओ. का कार्य क्षेत्र है, आपका नहीं, आगे से ध्यान रखें।”

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरिराज किशोर तिवाड़ी के दामाद को भी कुछ ऐसा ही मामला था। परंतु परिस्थितियों को वजह से (किसी रिश्तेदार की बीमारी के कारण) दामाद की जयपुर पोस्टिंग चाहते थे। तत्कालीन स्वास्थ्यमंत्री, तिवाड़ी जी से काफी जूनियर थे पार्टी में, अतः तिवाड़ी जी ने पोस्टिंग के लिए बातचीत की तो मालूम पड़ा स्वास्थ्य मंत्री से मिलना होगा। वो बेहिचक मंत्री महोदय से मिलने, मंत्री जी के दफ्तर

पहुंचे। मंत्री ने बहुत आवभगत की, सम्मान दिया, “आप जब नेता थे, तब मैं दूरी उठाने वाला साधारण कार्यकर्ता था। आपके आदेश की तुरन्त पालना होगी।” पर काफी समय बाद भी काम नहीं हुआ तो तिवाड़ी जी ने तहकीकात की, मालूम पड़ा काम तो तभी होगा, जब स्थानीय विधायक अपनी “डिजायर” स्वीकृति लिख कर भेज देगा।

पण्डित नवल किशोर शर्मा का भी कटु अनुभव कुछ ऐसा ही था। वे विधायक थे, आमेर से, तथा जयपुर के उनके वफादार कार्यकर्ता का विधायकपुरी थाने में कुछ जायज काम था। अतः उन्होंने सीधे थानेदार को फोन किया पर काम नहीं हुआ। हार बार कार्यकर्ता नवलजी के पास जाकर पुनः फोन करने का दबाव बनाता रहा। थानेदार का भाई, पी.सी.सी. में विधि सैल का उच्चाधिकारी था, अतः पी.सी.सी. में नवल किशोर शर्मा की वरिष्ठता से खूब परिचित था। पर, थानाधिकारी नवलजी की अवहेलना करता रहा। नवलजी ने अन्त में फोन पर गुस्से में काफी जोरों से डांट-डपट की। एक कार्यकर्ता/नेता ने दबी जुबान में कहा, “थानेदार तब तक कुछ नहीं करेगा, बाबूजी, जब तक महेश जोशी उसे निर्देश नहीं देता, क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर का चार्ज उसे दे रखा है।”

गहलोत जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उनकी इस पकड़ में और “निखार” आया और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर तो उन्हें इस धारणा पर स्वयं भी पूर्ण विश्वास हो गया, कि राजस्थान में उनका कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि हाई कमान उन्हें कुछ कहने की स्थिति में नहीं है और अधिकांश विधायक अब उनके पार्टनर बन चुके थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर

पाठकों को याद दिला दें कि जब फोन टैपिंग के आरोप कर्नाटक सरकार पर लगे थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। परंतु गहलोत ने अपने पिछले कार्यकाल में पुलिस और गृह विभाग को जैसे तोड़ा और मरोड़ा उससे “सत्ता के दुरुपयोग” की परिभाषा ही बदल जाती है। सरकारी काम-काज में थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो शायद शुरू से रहा होगा, गहलोत ने इस “भ्रष्टाचार” में सबको पार्टनर बना दिया, अफसरशाही, राजनीतिज्ञ आदि। इसकी धुरी बना दिया स्थानीय विधायक को।

के एक कार्यरत अफसर ने मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए इन हालात को सन्दर्भ में कहा, “आप सरकार से गलत समय लड़ लिये, यह लड़ने का नहीं कमाने का समय था। कोई सा भी प्रोजेक्ट ले जाइये मुख्यमंत्री के पास, प्रोजेक्ट पर चिन्तन, उससे लाभ की चर्चा नहीं होती, केवल यह पूछा जाता है, तुम्हें कितना लाभ होगा और उसमें “हमारी” क्या हिस्सेदारी होगी।” भगवान करें, यह टिप्पणी, केवल मजाक के रूप में कही गयी हो। उसी अफसर ने आगे इसी टोन (लय) में कहा, ऐसा लग रहा है, कि सारे सरकारी तंत्र का एक ध्येय व उद्देश्य था, कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाई जाये।

उदाहरण के लिए, जब “नीट” का पेपर लीक हुआ और बाजार में उपलब्ध होने लगे और पेपर “लीक” होने की चर्चा आम होने लगी, तो पहले तो मुख्यमंत्री स्तर पर इन चर्चाओं की, इन खबरों की अनदेखी की गई। शायद मुख्यमंत्री की अनदेखी की गई। शायद आशा थी, ये खबरें अपने आप जनता भूल जायेगी। पर, जब पानी नाक तक आ गया तो एक वक्तव्य आया, कि यह केवल राजस्थान में ही नहीं हो रहा, बल्कि देश के सभी राज्यों में हो रहा है। इस अनदेखी और सतही चेपा-चापी के “एटिट्यूड” से पेपर लीक करने का कारोबार धड़ल्ले से चला और नई-नई “टेक्नीक” विकसित हुई। नकली उम्मीदवार बैठने लगे परीक्षा में, सही कागजातों से सुसज्जित हो कर। दायरा भी बढ़ता गया। “नीट” का सफल मॉडल, एस.आई. की परीक्षा में लागू कर दिया गया और फिर हर सरकारी परीक्षा में, जो सरकारी नौकरी के लिए ली जाती है। नौकरी उन्मुख सरकारी परीक्षाओं में थोड़ी बहुत चीटिंग व सफारिशें, शायद पहले भी चलती होंगी। पर, गहलोत ने इसे सुसंगठित किया, व्यवस्थित किया और सरकार का प्रभय दिया। क्योंकि, मन में यह “विश्वास” था, उनसे अधिक योग्य कोई नहीं, और उनका कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि उन्होंने सब देना प्रस्ताव कर रखे हैं, चाहे दिल्ली का हाईकमान हो, या राजस्थान के विधायक, चाहे विपक्ष के नेता और बड़े से बड़े अफसर।

“करप्टर” (भ्रष्टाचार) में

मुख्यमंत्री गहलोत में मॉरल (नैतिक) वैल्यू सिस्टम का आभाव, सुप्त अन्तरात्मा, असहाय व मजबूर-सी अफसर शाही, नारे गढ़ने में मास्टरी, आदि, आदि, कारणों ने एक साथ मिलकर पूरे सरकारी ढांचे, प्रशासनिक तंत्र को छक्कड़ार दिया, इतना कि अब उसे पटरी पर आने में कई दशक लगेंगे।

भागीदारी, “ऑफिशियल” हिस्सेदारी देकर, राजनीतिज्ञों, विधायकों की वफादारी खरीद तो ली गहलोत ने, पर विधायक व स्वयं मुख्यमंत्री यह अच्छी तरह जानते थे, अनभिज्ञ नहीं थे, कि इस हिस्सेदारी व भागीदारी की गारंटी तब तक ही है, जब तक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। जब वे पद से हट गये तो, भ्रष्टाचार करने के लिए दिया गया उनका अभयदान बेअसर हो जायेगा। गहलोत ने बखूबी यह समझाया विधायकों को कि, अगर अभयदान बरकरार रखना है और भ्रष्टाचार करने की खुली छूट बरकरार रखनी है, तो गहलोत को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। पर, समझाइश के बावजूद गहलोत व राजनीति की उनकी पद्धति हारी, क्योंकि आम जनता, जिससे भ्रष्टाचार के मार्फत उगाही की जा रही थी, वह भी देख रही थी, “क्या खेला हो रहा है।” ममता जी का यह खेला, बंगाल में चल गया, क्योंकि वहां उन्हें 30 प्रतिशत जनता (मुसलमानों) का पूर्ण समर्थन एक मुश्त प्राप्त था, पर यह स्थिति राजस्थान में नहीं थी, किसी जात/जाति का एक मुश्त समर्थन प्राप्त नहीं था गहलोत को।

ममता बनर्जी को भ्रष्टाचार में भागीदारी का नुस्खा मुख्य रूप से मुसलमानों या उनके कुछ सहयोगियों तक ही सीमित रखना था, पर गहलोत को यह स्क्रीम पूरे राजस्थान में, सभी चर्चनित जनप्रतिनिधियों व उनकी दृष्टि में प्रभावशाली वर्गों पर लागू करनी पड़ी, क्योंकि प्रारम्भ से उनका खुद का कोई अपना “नसल” वोट बैंक नहीं है और ना ही तीन बार मुख्यमंत्री रहने के बाद बना पाया।

“ट्रांज़िक्शनरी एप्रोच” (लेन-देन, खरीद-फरोख्त के व्यवहार) के कारण लोग जुड़े तो सही, आखिर सबका सरकार से कुछ न कुछ काम तो रहता

प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार, किसी व्यक्ति का फोन “टैप” किया जा सकता है, और अगर टैपिंग की अवधि एक सप्ताह से कम है, तो इस टैपिंग की स्वीकृति के लिए कोई फाइल चलाने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः प्रक्रिया यह अपनायी गयी कि पांच-छः दिनों के लिए फोन “टैप” किया गया और फिर एक दो-दिन के लिए फोन को “टैपिंग” की लिस्ट से निकाल दिया गया, और फिर दो दिन बाद पुनः पांच-छः दिन की “टैपिंग लिस्ट” में डाल दिया गया। गृह विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस टैपिंग को सात दिन से ज्यादा जारी करने की स्वीकृति नहीं देते, इसलिए तीन महीने के बाद इस टैपिंग का सारा रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाता था।

के लिए तर्क दिया गया कि, पैसे दिल्ली पहुंचाने पड़ते हैं, तो “कलैक्शन” को करना ही पड़ेगा। “आकलन” तो यह है कि दिल्ली ने इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर लिया। क्योंकि, इस रणनीति से हाईकमान को नुकसान ही नुकसान था।

अफसर को इतने महत्वपूर्ण पद से हटा तो दिया था, और उन्हें इसका भारी राजनीतिक खामियाजा भुगतान पड़ेगा। पर, उन्हीं के शब्दों में, वे राजनीतिक दृष्टि से ऐसे “अपरिपक्व” अफसर को संवेदनशील पद (सेक्रेटरी टु सी.एम.)